रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1331] नई दिल्ली, बुधवार, जून 25, 2014/आषाढ़ 4, 1936
No. 1331] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 25, 2014/ASADHA 4, 1936

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2014

का.आ. 1598(अ).—भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप, जिसका केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (v) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार जनसाधारण की जानकारी के लिए, जिनके उसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है ; और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा:-

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों पर कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: satish.garkoti@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,-

(i) मद 1(ग) में स्तंभ (2), स्तंभ (3), स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में की प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"1(ग)	(iii) बृहत पेयजल आपूर्ति परियोजना जैसी गैर सिंचाई परियोजनाएं ।	(iii) ≥ 5,000 है. जलमग्न क्षेत्र	(iii) < 5,000 है. जलमग्न क्षेत्र	साधारण शर्त लागू होगी

(ii) ईंधन के रूप में गैर परिसंकटमय नगर पालिक ठोस अपशिष्ट पर आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों से संबंधित मद 1(घ) में स्तंभ (3) और स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

(i) स्तंभ (3).-

"≥ 15 मे.वा."

(ii) स्तंभ (4).-

"< 15 मे.वा."

[फा. सं. जे- 11013/12/2013-आईए.II(1)(भाग)]

अजय त्यागी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् का.आ. 1737(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2007, का.आ. 3067(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009, का.आ. 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011, का.आ. 2896 (अ), तारीख 13 दिसंबर, 2012, का.आ. 674(अ), तारीख 13 मार्च, 2013, का.आ. 2559(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013, का.आ. 2731(अ), तारीख 9 सितंबर, 2013, का.आं. 562(अ), तारीख 26 फरवरी, 2014 और का.आ. 637(अ), तारीख 28 फरवरी, 2014 द्वारा संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2014

S.O. 1598(E).—The following draft of the notification, further to amend the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O.1533(E) dated the 14th September, 2006 which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by Sub-section (1), read with clause (v) of Sub-section (2) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment and Forest, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi-110 003, or at e-mail address:- satish.garkoti@nic.in.

Draft Notification

In the said notification, in the Schedule.-

(i) in item 1(c), after the entries in columns (2), (3), (4) and (5), the following inserted, namely:-

1(c)	"(iii) Non –Irrigation projects such as large drinking water supply projects.	(iii)≥ 5,000 ha submergence area	(iii)< 5,000 ha submergence of area	General Condition shall apply.'';

(ii) in, item 1(d), for the entries in column (3) and column (4), relating to thermal power plants based on non-hazardous municipal solid waste as fuel, the following entries shall be substituted, namely.-

(i) In column(3).-
"≥ 15MW"

(ii) In column(4).-
"< 15MW"

[F. No. J-11013/12/2013-IA-II (1) (part)]

AJAY TYAGI, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and amended vide S.O.1737(E) dated the 11th October, 2007, S.O. 3067(E) dated the 1st December, 2009, S.O.695(E) dated the 4th April, 2011, S.O.2896(E) dated the 13th December, 2012 , S.O.674(E) dated the 13th March, 2013, S.O.2559(E) dated the 22nd August, 2013, S.O. 2731(E) dated the 9th September, 2013, S.O. 562(E) dated the 26th February, 2014 and S.O.637(E) dated the 28th February, 2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2014

का.आ. 1599(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति देने के पश्चात्, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

I. उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,-

(i) मद 1(ग) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"1(ग)	(i) नदी घाटी परियोजनाएं (ii) सिंचाई परियोजनाएं	(i) ≥ 50 मे.वा. जल विद्युत उत्पादन (ii) ≥ 10,000 हे0 खेती योग्य प्रभावित क्षेत्र	(i) < 50 ≥ 25 मे.वा. जल विद्युत उत्पादन (ii) < 10,000 हे0 > 2000 हे0 खेती योग्य प्रभावित क्षेत्र	साधारण शर्त लागू होगी टिप्पण :- एक से अधिक राज्य में आने वाली प्रवर्ग **'ख'** नदी घाटी परियोजनाओं का मूल्यांकन केन्द्रीय सरकार स्तर पर किया जाएगा ।";

(ii) मद 1(घ) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"1(घ)	तापीय विद्युत संयंत्र	≥ 500 मे.वा. (कोयला/लिग्नाइट/नेप्था और गैस आधारित) ; ≥ 50 मे.वा. (जैव द्रव्यमान के सिवाय सभी अन्य ईंधन) । ≥ 20 मे.वा. (जिसमें गैरपरिसंकटमय नगरपालिक ठोस अपशिष्ट का ईंधन के रूप में उपयोग होता है) ।	≥ 50 मे.वा. से < 500 मे.वा. (कोयला/लिग्नाइट/नेप्था और गैस आधारित) < 50 मे.वा. और ≥ 5 मे.वा.(जैव द्रव्यमान और गैरपरिसंकटमय नगरपालिक ठोस अपशिष्ट के सिवाय सभी अन्य ईंधन) । < 20 मे.वा. > 15 मे.वा. (जिसमें गैरपरिसंकटमय नगरपालिक ठोस अपशिष्ट का ईंधन के रूप में उपयोग होता है) । ≥ 15 मे.वा. जैव द्रव्यमान पर आधारित संयंत्र	साधारण शर्त लागू होगी टिप्पण :- (i) जैव द्रव्यमान या गैरपरिसंकटमय नगरपालिक ठोस अपशिष्ट जिसमें कोयला, लिग्नाइट/पेट्रोलियम उत्पाद पेट्रोलियम उत्पाद जैसे सहायक ईंधन का उपयोग होता है, पर अधारित 15 मे.वा. तक के तापीय विद्युत संयंत्रों को छूट प्राप्त है । (ii) किसी सहायक ईंधन के बगैर अपशिष्ट ताप बायलरों का उपयोग करने वाले तापीय विद्युत संयंत्र छूट प्राप्त हैं ।";

(iii) मद 2(ख) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"2(ख)	खनिज सज्जीकरण	≥ 0.5 मिलियन टी पी ए का उत्पादन	> 0.5 मिलियन टी पी ए का उत्पादन	साधारण शर्त लागू होगी (अनापत्ति प्रदान करने के लिए खनन प्रस्ताव का खनिज सज्जीकरण के साथ मूल्यांकन किया जाएगा) ।";

(iv) मद 4(ख) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"4(ख)	(i) कोक भट्टी संयंत्र (ii) कोलतार प्रसंस्करण इकाईयां	≥2,50,000 टन/प्रतिवर्ष -	< 2,50,000 और ≥ 2,50,000टन/प्रतिवर्ष सभी परियोजनाएं	साधारण शर्त लागू होगी ।";

(v) मद 4(घ) के स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"उत्पादन क्षमता ≥ 300 यदि कोई इकाई अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा के बाहर अवस्थित है ।";

(vi) मद 4(च) के स्तंभ (2) में, की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"त्वचा/खाल प्रसंस्करण जिसके अंतर्गत चर्म शोधन उद्योग भी है ।";

(vii) मद 5(क) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"5(क)	रासायनिक उर्वरक	रासायनिक उर्वरकों के दानों के सिवाय सभी परियोजनाएं जिसके अंतर्गत H_2SO_4 उत्पादन के साथ सभी एकल सुपर फोसफेट परियोजनाएं भी हैं ।	H_2SO_4 उत्पादन और रासायनिक दानों के बगैर सभी एकल सुपर फोसफेट परियोजनाएं	साधारण शर्त लागू होगी सुपर फॉसफेट पाउडर के दाने बनाने को छूट दी गई है ।";

(viii) मद 5(ङ) में :-

(क) स्तंभ (2) में की प्रविष्टी के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

"पैट्रोलियम उत्पाद और पैट्रो रसायन आधारित कार्बन ब्लैक तथा इलेक्ट्रोड ग्रेड ग्रेफाइट के उत्पादन का प्रसंस्करण (भंजन से भिन्न अन्य प्रसंस्करण तथा सुधार और जो परिसरों के भीतर समाविष्ट नहीं है)।";

(ख) स्तंभ (5) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

"साधारण और विर्निदिष्ट शर्त लागू होगी ।
टिप्पण—बहुलक दानों से उत्पादों के विर्निमाण को छूट प्राप्त होगी ।";

2589 GI/14-2

(ix) मद 5(च) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"5(च)	संश्लिष्ट कार्बनिक रसायन उद्योग (रंजक और रंजक मध्यक ; थोक ओषधि और ओषधि विर्निमितियों को छोड़कर मध्यक ; संश्लिष्ट रबर मूल कार्बनिक रसायन और अन्य संश्लिष्ट कार्बनिक रसायन मध्यक)	स्तंभ (5) में यथापरिभाषित लघु इकाईयों के सिवाय अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा के बाहर अवस्थित ।	(i) अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा के बाहर अवस्थित । (ii) स्तंभ (5) में यथापरिभाषित लघु इकाइयां ।	साधारण और विनिर्दिष्ट शर्त लागू होगी लघु इकाइयां : < 25m^3/दिन जल खपत, < 25टीपीडी ईंधन खपत के साथ और जो परिसंकटमय रसायन का प्रबंधन, भंडारण और आयात नियम, 1989 के अनुसार एमएएच इकाइयों के प्रवर्ग में नहीं आती हैं ।";

(x) मद 5(छ) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"5(छ)	आसवनी	(i) सभी शीरा आधारित आसवनी । (ii) गैर शीरा आधारित आसवनी ≥ 60 कि.ली.दैनिक	गैर शीरा आधारित आसवनी- < 60 कि.ली.दैनिक	साधारण शर्त लागू होगी ।";

(xi) मद 5(झ) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"5(झ)	लुग्दी और कागज़ उद्योग	लुग्दी विनिर्माण तथा अपशिष्ट कागज से विनिर्माण के सिवाय लुग्दी तथा का कागज विनिर्माण उद्योग ।	अपशिष्ट कागज से लुग्दी विनिर्माण तथा अपशिष्ट कागज लुग्दी और अन्य तैयार लुग्दी से कागज विनिर्माण ।	साधारण शर्त लागू होगी टिप्पण : रंजन, विरंजन और रंगाई के बगैर अपशिष्ट कागज लुग्दी और तैयार लुग्दी से कागज विनिर्माण को छूट प्राप्त है ।";

II. अनुसूची के पश्चात्, साधारण शर्त से संबंधित टिप्पण में निम्नलिखित साधारण शर्त रखी जाएगी, अर्थात् :-

"साधारण शर्त (सा.श.) :

प्रवर्ग 'ख' विनिर्दिष्ट किसी परियोजना या क्रियाकलाप का केन्द्रीय स्तर पर प्रवंग 'क' के रूप में मूल्यांकन किया जाएगा, यदि वह पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से : (i) वन्य जीव संरक्षण

अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के अधीन संरक्षित क्षेत्रों की ; (ii) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के अधीन गठित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर पहचान किए गए गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों की ; (iii) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन यथाअधिसूचित पारिस्थितकी संवेदनशील क्षेत्रों की और (iv) अंतर राज्यिक सीमाओं और अंतराष्ट्रीय सीमाओं से पांच किलोमीटर की सीमाओं के भीतर अवस्थित है ;

परंतु 1(ग) में विनिर्दिष्ट नदी घाटी परियोजनाएं, मद 1(घ) में विनिर्दिष्ट तापीय विद्युत संयंत्र, मद 7(ग) विनिर्दिष्ट औद्योगिक संपदा/पार्क/क्षेत्र/निर्यात प्रसंस्करण जोन, विशेष आर्थिक जोन, जैव प्रौद्योगिकी पार्क, चमड़ा परिसर और मद 7(घ) में विनिर्दिष्ट समान्य परिसंकटमय अपशिष्ट उपचार, भंडारण और निपटान सुविधाओं का मूल्यांकन केन्द्रीय स्तर पर किया जाएगा यदि वह 10 किलोमीटर के भीतर अवस्थित है ।

परंतु यह और कि उपरोक्त मद (i), मद (ii) और मद (iii) में वर्णित क्षेत्रों की, यथास्थिति, पांच किलोमीटर या दस किलोमीटर के भीतर कोई क्रियाकलाप न होने की दशा में अंतर राज्यिक सीमाओं की, यथास्थिति, पांच किलोमीटर या दस किलोमीटर की दूरी से संबंधित अपेक्षा को क्रमशः सामान्य सीमाओं वाले राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों की बीच करार द्वारा कम या पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सकता है ।"

[फा. सं. जे- 11013/12/2013-आईए.II(1)(भाग)]

अजय त्यागी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् का.आ. 1737(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2007, का.आ. 3067(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009, का.आ. 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011, का.आ. 2896 (अ), तारीख 13 दिसंबर, 2012, का.आ. 674(अ), तारीख 13 मार्च, 2013, का.आ. 2559(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013, का.आ. 2731(अ), तारीख 9 सितंबर, 2013, का.आ. 562(अ), तारीख 26 फरवरी, 2014 और का.आ. 637(अ), तारीख 28 फरवरी, 2014 द्वारा संशोधित किए गए ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2014

S.O. 1599(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) and clause (v) of Sub-section (2) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986(29 of 1986) read with sub-rule(4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments to the notification of the Government of India , in the Ministry of Environment and Forests number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006 after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rule, in public interest, namely:-

I. In the said notification, in the Schedule,-

(i) **for item 1(c) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:-**

"1(c)	(i) River Valley projects (ii) Irrigation projects	(i) ≥ 50 MW hydroelectric power generation; (ii) ≥ 10,000 ha. of culturable command area.	(i) ≤ 50 MW ≥ 25 hydroelectric power generation; (ii) < 10,000 ha. > 2000 ha. of culturable command area.	General condition shall apply. Note:- Category 'B' river valley projects falling in more than one state shall be appraised at the central Government Level..'';

(ii) for item 1(d) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:-

"1(d)	Thermal Power Plants	≥ 500 MW (coal/lignite/naphta and gas based); ≥ 50 MW (all other fuels except biomass). ≥ 20MW (using municipal solid non hazardous waste, as fuel).	≥ 50MW to <500 MW (coal/lignite/ naphta and gas based); < 50 MW and ≥5MW (all other fuels except biomass and municipal solid non hazardous waste). < 20MW >15MW (using municipal solid non hazardous waste, as fuel). ≥ 15 MW plants based on biomass fuel.	General condition shall apply Note:- (i) Thermal Power plants up to 15 MW based on biomass or non hazardous municipal solid waste using auxiliary fuel such as coal, lignite/ petroleum products upto 15% are exempt. (ii)Thermal power plants using waste heat boilers without any auxiliary fuel are exempt.";

(iii) for item 2(b) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:-

"2 (b)	Mineral beneficiation	≥ 0.5 million TPA throughput	< 0.5 million TPA throughput	General condition shall apply (Mining proposal with mineral beneficiation shall be appraised together for grant of clearance).";

(iv) for Item 4(b) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:-

"4(b)	(i)Coke oven plants (ii) Coaltar processing units	≥2,50,000 tonnes/annum -	<2,50,000 and ≥25,000 tonnes/annum All projects	General condition shall apply.";

(v) **in item 4(d), in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-**

"≥300 TPD production capacity if a unit located outside the notified industrial area/ estate.";

(vi) **in item 4(f), in column (2), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-**

"Skin/hide processing including tanning industry.";

(vii) **for item 5(a) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:-**

"5(a)	Chemical fertilizers	All projects including all single super phosphate with H_2SO_4 production except granulation of chemical fertilizers.	All Single Super Phosphate without H_2SO_4 production and granulation of chemical fertilizers.	General condition shall apply. Granulation of single super phosphate powder is exempt.";

(viii) **in item 5(e):-**

(a) in column (2), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"Petroleum products and petrochemical based processing such as production of carbon black and electrode grade graphite (processes other than cracking and reformation and not covered under the complexes).";

(b) in column (5), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"General as well as specific condition shall apply.

~~Note- Manufacturing of products from polymer granules is exempt.~~";

(ix) **for item 5(f) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:-**

"5(f)	Synthetic organic chemicals industry (dyes and dye intermediates; bulk drugs and intermediates excluding drug formulations; synthetic rubbers; basic organic chemicals, other synthetic organic chemicals and chemical intermediates)	Located outside the notified industrial area/ estate except small units as defined in column (5).	(i) Located in a notified industrial area/ estate. (ii) Small units as defined in column (5).	General as well as specific condition shall apply. Small units: with water consumption <25m^3/day, fuel consumption <25TPD and not covered in the category of MAH units as per the Management, Storage and Import of Hazardous Chemical Rules, 1989.";

(x) **for item 5(g) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:-**

"5(g)	Distilleries	(i) All Molasses based distilleries (ii) Non-molasses based distilleries ≥ 60KLD	Non-molasses based distilleries – <60 KLD	General condition shall apply.";

(xi) **for item 5(i) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:-**

"5(i)	Pulp and paper industry	Pulp manufacturing and Pulp and Paper manufacturing industry except from waste paper.	Pulp manufacturing from waste paper and paper manufacturing from waste paper pulp and other ready pulp.	General condition shall apply Note: Paper manufacturing from waste paper pulp and ready pulp without deinking, bleaching and colouring is exempt.";

II. After the Schedule, in the Note relating to General Condition(GC), the following General Condition shall be substituted, namely:-

General Condition(GC):

Any project or activity specified in category 'B' will be appraised at the Central level as Category 'A', if located in whole or in part within 5 km. from the boundary of : (i) Protected areas notified under the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972); (ii) Critically polluted areas as identified by the Central Pollution Control Board constituted under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) from time to time; (iii) Eco-sensitive areas as notified under sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, and (iv) inter-State boundaries and international boundaries; provided that for River Valley Projects specified in item 1(c), Thermal Power Plants specified in item 1(d), Industrial estates/parks/complexes/areas, export processing zones (EPZs), Special Economic Zones (SEZs), biotech parks, leather complexes specified in item 7(c) and common hazardous waste treatment, storage and disposal facilities (TSDFs) specified in item 7(d), the appraisal shall be made at Central level even if located within 10km.

Provided further that the requirement regarding distance of 5 km or 10 km, as the case may be, of the inter-State boundaries can be reduced or completely done away with by an agreement between the respective States or the Union Territories sharing the common boundary in case the activity does not fall within 5km or 10 km, as the case may be of the areas mentioned at item (i), (ii) and (iii) above."

[F. No. J-11013/12/2013-IA-II (1) (part)]

AJAY TYAGI, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and amended vide S.O. 1737(E) dated the 11th October, 2007, S.O. 3067(E) dated the 1st December, 2009, S.O. 695(E) dated the 4th April, 2011, S.O. 2896(E) dated the 13th December, 2012, S.O. 674(E) dated the 13th March, 2013, S.O. 2559(E) dated the 22nd August, 2013, S.O. 2731(E) dated the 9th September, 2013, S.O. 562(E) dated the 26th February, 2014 and S.O. 637(E) dated the 28th February, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.